न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, R.A.S.

वादपत्र संख्या 67/2017
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 91 राज. काश्तकारी अधिनियम

कुलविन्द्रसिंह आत्मज श्री गुरनामसिंह आत्मज श्री कपूरसिंह, तरखान, चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगगानगर.

...**वादी**

बनाम

1. गुरनामसिंह आत्मज श्री कपूरसिंह, तरखान, चक 5 जी छोटी,
2. राजेन्द्रसिंह,
3. निर्मलसिंह,
4. मिठूसिंह,
5. जगतारसिंह आत्मजन श्री गुरनामसिंह, तरखान, चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
6. कालासिंह आत्मज श्री जंगीरसिंह, तरखान, चक 5 जी छोटी,
7. बनतासिंह आत्मज श्री तारासिंह, तरखान, चक 5 जी छोटी,
8. श्रीमती सुखविन्द्रकौर धर्मपत्नी श्री लक्ष्मणसिंह, तरखान, चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगांगनगर,
9. जगमीतसिंह आत्मज श्री लक्ष्मणसिंह, तरखान, चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
10. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..**प्रतिवादीगण**

उपस्थित–	श्री मुकेश सिंधी	(वादी)
	श्री संजय जनवेजा	(प्रतिवादी–7)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–10)

दिनांक 26 मार्च, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 9 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 23/11 मुरब्बा नबर 37 किला नम्बर 12 से 15(1.012) हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व अभिलेखानुसार वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर खातेदारी दर्ज है. इसी प्रकार चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 10/8 मुरब्बा नम्बर 6 की 3.542 हैकटर, मुरब्बा नम्बर 7की 0. 228 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 11 की 0.126 हैक्टर कुल 3.896 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के नाम पर दर्ज है, में प्रतिवादी संख्या 1 का 1.303 हैक्टर हिस्सा दर्ज था जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से 0.385 हैक्टर मा. न्यायालय द्वारा दिनांक 16 जून, 2015

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक

को पारित निर्णय एवं डिक्री के बाद प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर शेष 0.918 हैक्टर हिस्सा शेष रह गया. इस प्रकार दोनों चकों की कृषि भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा बनता है. उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता से विरासतन तथा अपनी बहनों द्वारा हक परित्याग करने से मिली पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी का जन्म से ही हक व हिस्ससा बनता है. इसी पैतृक कृषि भूमि की आय से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चक 9 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर स्थित कृषि भूमि क्रय की गयी. इस प्रकार दोनो चको की कुल 2.315 हैक्टर पैतृक सम्पत्ति है जो अब प्रतिवादी संख्या 2 के नाम मा. न्यायालय द्वारा डिक्री किये जाने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 1.930 हैक्टर शेष रह गयी है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व अपने भाईयों प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के साथ साथ बहिस्सा बराबर बराबर होने से 1/6 हिस्सा बनता है. वादी अपने हिस्सा की घोषणा करवाकर व दोनों चकों में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज कृषि भूमि का विभाजन करवाकर अपने हिस्सा की कृषि भूमि को किलावाईज दर्ज करवाना चाहता है जिसके बिना वादी खेती कर पाने से वंचित हो रहा है. यद्यपि मौका पर वादी के पिता का सह खातेदारों के साथ चक 5 जी छोटी तहसील श्रीगंगानगर की कृषि भूमि का विभाजन करवाकर वह किलावाईज ही काबिज है. वादी का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 व भाईयों के साथ है किन्तु वादी अपने हिस्सा की भूमि के लिये अपने अधिकारों की घोषणा करवाकर अपने हिस्सा की भूमि अर्थात दोनों चकों में अपने पिता के नाम पर दर्ज कुल 1.930 हैक्टर में से 1/5 हिस्सा अपने नाम पर घोषित करवाकर राजस्व अभिलेखों में क्रियान्विती करवाना एवं वादी के कब्जा की भूमि में से 1/5 हिस्सा किलावाईज अपने नाम पर दर्ज करवाने का अधिकारी है. जिसके लिये वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया. प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के कब्जा में चक 9 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 37 किला नम्बर 12 से 15 के अतिरिक्त, चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगांगनगर के मुरब्बा नम्बर 6 किला नम्बर 11(0.
5), किला नम्बर 18(0.207), किला नम्बर 19, किला नम्बर 20(0.02), किला नम्बर 21(0.147), किला नम्बर 22(0.18) हैक्टर कृषि भूमि है. वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त दोनों चकों में स्थित पैतृक कृषिभूमि के लिये कई बार कहा गया कि वह वादी को दोनों चकों की शेष कृषि भूमि 1.930 हैक्टर में से 1/5 हिस्सा दर्ज करके खाता विभाजन करवाकर किलावाईज वादी के नाम से दर्ज करवा देवें किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 15 जून, 2017 को साफ इन्कारी हो गये. यही वादहेतुक वादी को उपलब्ध है. इस प्रकार वादी द्वारा चक 9 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 23/11 मुरब्बा नम्बर 37 किला नम्बर 12 से 15(1.012) एवं चक 5 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 10/8 मुरब्बा नम्बर 6 की 3.542 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 7 की 0.228 हैकटर, मुरब्बा नम्बर 11

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

की 0.126 हैक्टर कुल 3.896 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के नाम पर दर्ज है, में प्रतिवादी संख्या 1 का 1.303 हैक्टर दर्ज था जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से 0.385 हैक्टर मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 जून, 2015 के बाद प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर शेष 0.918 हैक्टर पैतृक सम्पत्ति में वादी का 1/5 हिस्सा वादी के नाम दर्ज करने, चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगांगनगर की कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 व 6 से 9 के मध्य विभाजन करवाया जाकर चक 9 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 37 किला नम्बर 12 से 15(1.012) अर्थात दोनो चको की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर कुल 1.930 हैक्टर कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 1, 3,4 एवं 5 के मध्य विभाजन किया जाकर वादी की 1/5 हिस्सा किलावाईज भूमि वादी के नाम पर दर्ज करने, लगान मामला कायम करने एवं वाद के विचारणकाल में दोनों चकों की कृषि भूमि की बाबत प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व बंधक, विकय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरण नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 5 जी छोटी की जमाबन्दी सम्बत् 2068–2071, चक 5 जी छोटी की जमाबन्दी सम्बत् 2068–2071, चक 9 ए छोटी की जमाबन्दी सम्बत 2066–2069, नामान्तरकरण संख्य 132, नामान्तरकरण संख्य 150, नामान्तरकरण संख्य 106, नामान्तरकरण संख्या 39, इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 515/2013 शीर्षक राजेन्द्रसिंह बनाम गुरनामसिंह व अन्य में पारित निर्णय मय डिक्री दिनांक 16 जून, 2016 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 व 5 स्वयं उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 7 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 2, 4, 6, 8 से 9 की तलबी हेतु जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त होने पर उन्हें रूक रूक कर निरन्तर आवाजें लगवाये जाने पर भी उपस्थित नहीं आने के कारण आदेश दिनांक 20 जुलाई, 2017 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2, 4, 6, 8 से 9 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी.

प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से जवाब वपादपत्र दिनांक 20 जुलाई, 2018 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रश्नगत कृषि भूमि संयुक्त खाता की चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खातासंख्या 10/8 के मुरब्बा नम्बर 6, 7 एवं 11 की कुल 3.896 हैक्टर में से 0.126 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 7 के नाम पर दर्ज है. प्रतिवादी संख्या 7 के कब्जा में मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 5/2 की 0.126 हैक्टर चली आ रही है जिसे प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा दस्तावेज बैयनामा दिनांक 11 जून, 1962 को श्री जगीरसिंह आत्मज श्री मघरसिंह से क्रय किया गया था. श्री जंगीरसिंह आत्मज श्री मघरसिंह द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 को मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 5 की 0.10 बीघा कृषि भूमि विक्रय की गयी थी. जिसका स्पष्ट विवरण

सहायक कलक्टर एवं

दस्तावेज बैयनामा में अंकित है. प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा क्रयाधीन कृषि भूमि पर बड़ी मेहनत एवं धन खर्च कर सुधार कार्य कर उपजाउ बनाया गया है. काउण्टर क्लेम में अंकित किया गया कि चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 10/8 के मुरब्बा नम्बर 6, 7 एवं 11 की कुल 3.896 हैक्टर में से 0.126 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 7 के नाम पर दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 7 के कब्जा काश्त में मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 5/2(0.126) हैक्टर कृषि भूमि है जिसे प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा विक्रय विलेख दिनांक 11 जून, 1962 को क्रय किया गया था. प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा क्रयाधीन कृषि भूमि पर बड़ी मेहनत एवं धन खर्च कर सुधार कार्य कर उपजाउ बनाया गया है. प्रतिवादी संख्या 7 अपने हिस्सा की उल्लेखित कृषि भूमि पर अधिक सुधार कार्य करवाना एवं विभिन्न राजकीय योजनाओं का लाभ उठाना चाहता है किन्तु संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 7 को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसलिये प्रतिवादी संख्या 7 के कब्जानुसार कृषि भूमि का पृथक खाता कायम करवाना चाहता है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 10/8 ममुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 5/2 के 0.120 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदारी घोषणा कर पृथक से खाता कायम करने का निवेदन किया गया. जवाब वादपत्र एवं काउण्टर क्लेम के समर्थन में दस्तावेज बैयनामा दिनांक 11 जून, 1962 की चित्रित प्रति संलग्न प्रस्तुत की गयी.

वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब काउण्टर क्लेम प्रस्तुत नहीं करने के कथन हस्ताक्षरित करने पर आदेश दिनांक 4 अगस्त, 2017 द्वारा जवाब काउण्टर क्लेम बन्द किया गया.

प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा जवाब वादपत्र प्रस्तुत नहीं करने के कथन करने के कारण प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से जवाब वादपत्र बन्द किया गया.

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार चक 5 जी छोटी एवं चक 9 ए छोटी में कुल 1.930 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है. प्रतिवादी संख्या 1 के पांच पुत्र हैं इस प्रकार उक्त पैतृक सम्पत्ति के कुल छः वारिस होने के कारण प्रत्येक 1/6 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है. प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त कृषि भूमि के अतिरिक्त पूर्व में 1/6 हिस्सा कृषि भूमि दी जा चुकी है जिसे प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने नाम पर दर्ज करवा लिया गया है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज कुल 1.930 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 2 का कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज कुल 1.930 हैक्टर कृषि भूमि में

वादी का 1/5 हिस्सा कायम करते हुऐ डिक्री पारित की जाती है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नही होने के तथ्य अंकित किये गये.

प्रतिवादी संख्या 10 राज्यपक्ष की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 5 सितम्बर, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वाद पक्षकारान के मध्य परस्पर है, ऐसी स्थिति में राज्यपक्ष की ओर से विस्तृत जवाब वादपत्र अपेक्षित नहीं है. इस प्रकार राज्यहितों को दृष्टिगत रखते हुऐ निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया –

1. क्या वादी चक नम्बर 9 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 23/11 मुरब्बा नम्बर 37 किला नम्बर 12 से 15(1.012) हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज चक 5 जी छोटी के खाता संख्या 10/8 मुरब्बा नम्बर 6 की 3.542 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 7 की 0.228 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 11 की 0.126 हैक्टर कुल 3.896 हैक्टर प्रतिवदी संख्या 6 से 9 के नाम दर्ज है, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर 303 हैक्टर दर्ज है, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम शेष 0.918 हैक्टर कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादी 1/5 हिस्सा प्राप्त करने एवं विभाजन करवाने का अधिकारी है? **....वादी**

2. क्या प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर चक 5 जी छोटी एवं चक 9 ए छोटी में कुल 1.930 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज है तथा प्रतिवादी के स्वयं सहित कुल 6 वारिसान हैं इसलिये वादी 1/6 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है? **......प्रतिवादी–1**

3. क्या चक 5 जी छोटी के खाता संख्या 10/8 मुरब्बा नम्बर 6, 7 एवं 11 की कुल 3.896 हैक्टर में से 0.126 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा दस्तावेज बैयनामा दिनांक 11 जून, 1962 के अनुसार श्री जंगीरसिह आत्मज श्री मघरसिंह से क्रय की गयी है? प्रतिवादी संख्या 7 के अपने कब्जाधीन मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 5/2(0.126) हैक्टर कृषि भूमि का यथा विभाजन करवाने का अधिकारी है? **...प्रतिवादी–7**

4. अनुतोष?

विवाद्यकों के विनिश्चिय हेतु साक्ष्य वादी हेतु श्री कुलविन्द्रसिंह द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत किये

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक ...

गये. जिससे जिरह की गयी. अन्य साक्ष्य वादी प्रस्तुत नहीं करने के कथन हस्ताक्षरित करने पर आदेश दिनांक 23 अक्तूबर, 2017 द्वारा साक्ष्य वादी पूर्ण की गयी. साक्ष्य प्रतिवादी हेतु श्री बंतासिंह द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया. जिससे जिरह की गयी. अन्य साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नहीं करने के कथन हस्ताक्षरित करने के परिणामतः आदेश दिनांक 22 नवम्बर, 2017 द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी पूर्ण की गयी. अभिलेख प्रदर्श करवाये गये.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

> विवाद्यक संख्या 1 – क्या वादी चक नम्बर 9 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 23/11 मुरब्बा नम्बर 37 किला नम्बर 12 से 15(1.012) हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज चक 5 जी छोटी के खाता संख्या 10/8 मुरब्बा नम्बर 6 की 3.542 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 7 की 0.228 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 11 की 0.126 हैक्टर कुल 3.896 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के नाम दर्ज है, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर 1.303 हैक्टर दर्ज है, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम शेष 0.918 हैक्टर कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादी 1/5 हिस्सा प्राप्त करने एवं विभाजन करवाने का अधिकारी है? **....वादी**

राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 के अनुसार चक 9 ऐ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 23/11 मुरब्बा नम्बर 37 किला नम्बर 12 से 15(1.012) हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हैं. चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 10/8 की 1.303 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है इस प्रकार दोनो चकों मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर 1.012 + 1.303 = 2.315 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज है जिसमें से इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 515/2013 शीर्षक राजेन्द्रसिंह बनाम गुरनामसिंह व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 जून, 2015 के अनुसार 1/6 हिस्सा श्री राजेन्द्रसिंह प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार घोषित करने के बाद शेष 1.012 + 0.918 = 1.930 हैक्टर कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार है तथा नामान्तरकरण संख्या 132, नामान्तरकरण संख्या 150, नामान्तरकरण संख्या 106 एवं नामान्तरकरण संख्या 39 के अनुसार उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है. जिसमें से न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 जून, 2015 के अनुसार 1/6 हिस्सा श्री राजेन्द्रसिंह को खातेदार घोषित

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

करने के बाद वादी उक्त पैतृक सम्पत्ति में से 1/5 हिस्सा का अधिकारी है जिसके लिये प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब वादपत्र में स्पष्ट सहमति दी गयी है. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर उपलब्ध कृषि भूमि में से वादी 1/5 हिस्सा प्राप्त कर विभाजन करवाने का अधिकारी है इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 वादी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 2 – क्या प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर चक 5 जी छोटी एवं चक 9 ए छोटी में कुल 1.930 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज है तथा प्रतिवादी के स्वयं सहित कुल 6 वारिसान हैं इसलिये वादी 1/6 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है? **......प्रतिवादी–1**

विवाद्यक संख्या 1 की विवेचना के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर चक 5 जी छोटी एवं चक 9 ए छोटी में कुल 1.930 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज है इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 515/2013 शीर्षक राजेन्द्रसिंह बनाम गुरनामसिंह व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 जून, 2015 के अनुसार 1/6 हिस्सा श्री राजेन्द्रसिंह प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार घोषित किया जा चुका है चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पूर्व में ही अपना हिस्सा प्राप्त कर चुका है. इसलिये शेष कुल 5 वारिसान के परिदृश्य वादी 1/5 हिस्सा प्राप्त करने का ही अधिकारी है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 3 – क्या चक 5 जी छोटी के खाता संख्या 10/8 मुरब्बा नम्बर 6, 7 एवं 11 की कुल 3.896 हैक्टर में से 0.126 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा दस्तावेज बैयनामा दिनांक 11 जून, 1962 के अनुसार श्री जंगीरसिह आत्मज श्री मघरसिंह से क्रय की गयी है? प्रतिवादी संख्या 7 के अपने कब्जाधीन मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 5/2(0.126) हैक्टर कृषि भूमि का यथा विभाजन करवाने का अधिकारी है?

...प्रतिवादी–7

चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2068–2071 के अनुसार संयुक्त खाता संख्या 10/8 मुरब्बा नम्बर 6, 7 एवं 11 की कुल 3.896 हैक्टर में से 0.126 हैक्टर श्री बन्तासिंह आत्मज श्री तारासिंह (प्रतिवादी संख्या 7) के नाम पर दर्ज है तथा विक्रय विलेख दिनांक 11 जून, 1962 के अनुसार विक्रेता द्वारा मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 5 के 0.10 बीघा कृषि भूमि श्री बन्तासिंह को विक्रय की गयी थी. जिस पर प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा निरन्तर कब्जा होने के तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं. इस

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक

प्रकार विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यकों के विनिश्चिय के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चक 5 जी छोटी एवं चक 9 ए छोटी में धारित कुल 1.930 हैक्टर कृषि भूमि में से वादी 1/5 हिस्सा प्राप्त कर विभाजन करवाने एवं प्रतिवादी संख्या 7 चक चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर संयुक्त खाता संख्या 10/8 मुरब्बा नम्बर 6, 7 एवं 11 की कुल 3.896 हैक्टर में से 0.126 हैक्टर कृषि भूमि का अपने कब्जानुसार विभाजन करवाने का इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4 जनववरी, 2018 द्वारा अधिकारी घोषित किया जाकर निर्णय की प्रति तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को राजस्थान टीनेन्सी(राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव हेतु प्रेषित करने पर तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2018/1101 दिनांक 15 फरवरी, 2018 द्वारा विभाजन प्रस्ताव, पटवारी हल्का एवं भू.अ.निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन मय मौका नक्शा प्रस्तुत किया गया. जिस पर दोनों पक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2018 को अनापत्ति हस्ताक्षरित की गयी जिसके परिणामतः विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पक्षकारान कृषि भूमि के खातेदार घोषित किये जाने योग्य है.

।। निर्णय ।।

अतः वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी **श्री कुलविन्द्रसिंह आत्मज श्री गुरनामसिंह को** – प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 10 मुरब्बा नम्बर 6 किला नम्बर 18(0. 207) हैक्टर, किला नम्बर 19(0.093) हैक्टर एवं किला नम्बर 21(0. 086) हैक्टर कुल 0.386 हैक्टर एवं **श्री बन्तासिंह आत्मज श्री तारासिंह को** – चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 10 मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 5/2(0.126) हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 26 मार्च, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर